सप्तदश बिहार विधान सभा

पंचम सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-21 **बुधवार, दिनांक-30 मार्च, 2022 ई०।**

मानननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न से 12:48 बजे अपराह्न तक।

सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होते ही विपक्ष के कतिपय माननीय सदस्यगण अपनी विभिन्न माँगों को लेकर शोरगुल करते हुए वेल में आ गये।

आसन द्वारा माननीय सदस्यों से अपने-अपने स्थान पर जाने का अनुरोध करते हुए कहा गया कि आपका कार्यस्थगन प्रस्ताव आया है। उचित समय पर अपनी बात को रखें।

तत्पश्चात माननीय सदस्यों ने अपना-अपना स्थान ग्रहण किया।

[1] प्रश्नकाल :-

(i) 04 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित।
(ii) 01 अल्पसूचित प्रश्न अनागत।
(iii) 13 तारांकित प्रश्न उत्तरित।
(iv) 02 तारांकित प्रश्न अपृष्ठ।
(v) 221 तारांकित प्रश्न अनागत।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-132 तथा तारांकित प्रश्न संख्या-3574 के निस्तारण के दौरान आसन द्वारा माननीय प्रभारी मंत्री को संबंधित विषय को गंभीरता से दिखवा लेने का निदेश दिया गया।

तारांकित प्रश्न संख्या-3562 के निस्तारण के दौरान आसन द्वारा माननीय प्रभारी मंत्री को प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा विभाग को प्रेषित पत्र की समीक्षा कर कृत कार्रवाई से आसन को अवगत कराने का निदेश दिया गया।

तारांकित प्रश्न संख्या-3565 के निस्तारण के दौरान आसन द्वारा माननीय प्रभारी मंत्री को विस्तृत जानकारी प्राप्त कर माननीय प्रश्नकर्ता सदस्य को अवगत कराने का निदेश दिया गया।

[2] **सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-**

(i) माननीय मंत्री, वित्त विभाग, श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में बिहार सरकार का 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष 2019-20 का "निष्पादन एवं अनुपालन लेखा परीक्षा पर प्रतिवेदन" तथा बिहार सरकार का 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष 2020-21 के "वित्त लेखे (खण्ड-1 एवं 2)" तथा "विनियोग लेखे" की एक-एक प्रति को महामहिम राज्यपाल, बिहार की अनुमति के आलोक में सभा मेज पर रखा गया।

(ii) माननीय मंत्री, वित्त विभाग, श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा प्रस्ताव किया गया कि "भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष 2019-20 का "निष्पादन एवं अनुपालन लेखा परीक्षा पर प्रतिवेदन" तथा बिहार सरकार का 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष 2020-21 के "वित्त लेखे (खण्ड-1 एवं 2)" तथा "विनियोग लेखे" को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति एवं सरकारी उपक्रमों सबंधी समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्त हो।"

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

[3] **कार्यस्थगन प्रस्ताव :-**

माननीय सदस्य, श्री अखतरूल ईमान, श्री शाहनवाज, श्री मुहम्मद इजहार असफी, श्री मोहम्मद अनजार नईमी, श्री सैयद रूकनुद्दीन अहमद, श्री महबूब आलम, श्री मनोज मंजिल, श्री महा नंद सिंह, श्री रणविजय साहू, श्री सत्यदेव राम, श्री राम रतन सिंह, श्री अरूण सिंह, श्री समीर कुमार महासेठ, श्री अमरजीत कुशवाहा, श्री सुदामा प्रसाद, श्री अजय कुमार, श्री गोपाल रविदास, श्री अजीत कुमार सिंह, श्री संदीप सौरभ एवं श्री अजीत शर्मा द्वारा दिया गया कार्यस्थगन प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा इसे अमान्य किये जाने की घोषणा की गई।

कार्यस्थगन प्रस्ताव अमान्य होने पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण शोरगुल करते हुए वेल में आ गये।

आसन द्वारा माननीय सदस्यों से अपने-अपने स्थान पर जाकर अपनी बात को रखने का अनुरोध किया गया।

तत्पश्चात आसन की अनुमति से माननीय सदस्य, श्री महबूब आलम, श्री आनंद शंकर सिंह एवं श्री मुकेश कुमार रौशन द्वारा अपनी सूचनाओं को संक्षिप्त रूप में पढ़ा गया।

इस दौरान माननीय सदस्य, श्री अखतरूल ईमान शोरगुल करते हुए वेल में आ गये। आसन द्वारा बार-बार माननीय सदस्य से अपने स्थान पर जाने का अनुरोध किया गया, परन्तु माननीय सदस्य वेल में शोरगुल करते रहे, जिसके फलस्वरूप आसन द्वारा उन्हें मार्शल आउट करने का निदेश दिया गया।

[4] **शून्यकाल :-**

शून्यकाल की सूचना के अन्तर्गत निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया :-

(i)	श्री मिथिलेश कुमार	(ii)	श्री अरूण शंकर प्रसाद
(iii)	श्री ललन कुमार	(iv)	श्री प्रहलाद यादव
(v)	श्रीमती नीतु कुमारी	(vi)	श्रीमती अरूणा देवी
(vii)	श्री सुरेन्द्र मेहता	(viii)	श्री अजय कुमार
(ix)	श्री चन्द्रहास चौपाल	(x)	श्री इजहारूल हुसैन
(xi)	सुश्री श्रेयसी सिंह	(xii)	श्री मनोज मंजिल
(xiii)	श्री महा नंद सिंह	(xiv)	डॉ० निक्की हेम्ब्रम
(xv)	श्री गोपाल रविदास	(xvi)	श्री राम रतन सिंह

(xvii) श्री ललित नारायण मंडल
(xviii) श्री महबूब आलम
(xix) श्री मुरारी प्रसाद गौतम
(xx) श्रीमती भागीरथी देवी
(xxi) श्री विजय कुमार खेमका
(xxii) श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता
(xxiii) श्री कृष्णनंदन पासवान
(xxiv) श्री अजीत कुमार सिंह
(xxv) श्री समीर कुमार महासेठ
(xxvi) श्री विद्या सागर केशरी
(xxvii) श्रीमती प्रतिमा कुमारी
(xxviii) श्री अरूण सिंह
(xxix) श्री जय प्रकाश यादव
(xxx) श्रीमती ज्योति देवी
(xxxi) श्री सुर्यकांत पासवान
(xxxii) श्री निरंजन राय
(xxxiii) श्री मो० इसराईल मंसूरी
(xxxiv) श्री अमरजीत कुशवाहा
(xxxv) श्रीमती विभा देवी
(xxxvi) श्री राकेश कुमार रौशन
(xxxvii) श्रीमती शालिनी मिश्रा
(xxxviii) श्री रणविजय साहू
(xxxix) श्री संजय सरावगी
(xl) श्री मनोज कुमार यादव
(xli) श्री सत्यदेव राम
(xlii) श्री विजय कुमार मंडल
(xliii) श्री सुदामा प्रसाद
(xliv) श्री संदीप सौरभ
(xlv) श्रीमती रश्मि वर्मा

[5] ध्यानाकर्षण सूचनाएँ :-

(i) माननीय सदस्य, श्री संजय सरावगी एवं श्री नीतीश मिश्रा का शिक्षा विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य, श्री संजय सरावगी द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा इसका उत्तर दिया गया।

इस दौरान माननीय सदस्य, श्री ललित कुमार यादव द्वारा माननीय सदस्य, श्री अखतरूल ईमान को भोजनावकाश के बाद सदन में वापस आने की अनुमति हेतु आसन से आग्रह किया गया।

आसन द्वारा इसपर सहमति जतायी गयी।

(ii) माननीय सदस्य, श्रीमती मीना कुमारी एवं अन्य सभासदों का शिक्षा विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य, श्रीमती मीना कुमारी द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा इसका उत्तर दिया गया।

तदुपरान्त सभा की बैठक भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई।

भोजनावकाश के बाद

(02:00 बजे अपराह्न से 03:37 बजे अपराह्न तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

[6] विधायी कार्य – राजकीय विधेयक:-

i. बिहार पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2022

माननीय प्रभारी मंत्री, गृह विभाग, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार द्वारा विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया।

आसन द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव का नाम पुकारा गया लेकिन उनके सदन में अनुपस्थित रहने के कारण प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा द्वारा संयुक्त प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया। प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया। प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

विचार की स्वीकृति के उपरान्त खंडशः विचार के क्रम में माननीय सदस्य, श्री समीर कुमार महासेठ एवं अजीत शर्मा का खंड 2 में संशोधन का प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ तथा सभी खंड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।

बिहार पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2022 सदन द्वारा स्वीकृत हुआ।

ii. <u>बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2022</u>

माननीय उप मुख्यमंत्री-सह-माननीय मंत्री, वित्त विभाग, श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा द्वारा विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया।

आसन द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव का नाम पुकारा गया लेकिन उनके सदन में अनुपस्थित रहने के कारण प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

विचार की स्वीकृति के उपरान्त खंडशः विचार के क्रम में माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा एवं श्री समीर कुमार महासेठ का खंड 2 में संशोधन का प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ तथा सभी खंड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।

बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2022 सदन द्वारा स्वीकृत हुआ।

iii. <u>बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022</u>

माननीय उप मुख्यमंत्री-सह-माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार द्वारा विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया।

आसन द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव का नाम पुकारा गया लेकिन उनके सदन में अनुपस्थित रहने के कारण प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा द्वारा संयुक्त प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया। प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया। प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

विचार की स्वीकृति के उपरान्त खंडशः विचार के क्रम में माननीय सदस्य, श्री समीर कुमार महासेठ का खंड 4 एवं 8 तथा माननीय सदस्य, श्री अजीत शर्मा का खंड 6, 7 एवं 8 में संशोधन का प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ तथा सभी खंड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।

बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022 सदन द्वारा स्वीकृत हुआ।

iv. **बिहार मद्य निषेध और उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2022**

माननीय मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, श्री सुनील कुमार द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार द्वारा विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया।

आसन द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव का नाम पुकारा गया लेकिन उनके सदन में अनुपस्थित रहने के कारण प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह द्वारा संयुक्त प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया। प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

विचार की स्वीकृति के उपरान्त खंडशः विचार के क्रम में माननीय सदस्य, श्री समीर कुमार महासेठ का खंड 2, 14, 15, 16 एवं 18 तथा माननीय सदस्य, श्री अजीत शर्मा का खंड 1, 4, 7, 10, 11, 14, 17, एवं 18 तथा माननीय सदस्य, श्री अजय कुमार सिंह का खंड 4 में संशोधन का प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ तथा सभी खंड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।

बिहार मद्य निषेध और उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2022 सदन द्वारा स्वीकृत हुआ।

[7] अन्य चर्चा :-

आसन द्वारा बजट सत्र की समाप्ति की पूर्व संध्या पर आज दिनांक 30.03.2022 को संध्या 07:00 बजे सभी माननीय सदस्यों के सम्मान में अध्यक्षीय आवास, 02, देशरत्न मार्ग, पटना में आयोजित रात्रिभोज पर पुनः आमंत्रित किया गया।

[8] निवेदन :-

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल 68 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिये जायेंगे।

तदुपरान्त सभा की बैठक वृहस्पतिवार, दिनांक-31 मार्च, 2022 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई।

पटना
दिनांक-30.03.2022

शैलेन्द्र सिंह
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।